

### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 992] No. 992] नई दिल्ली, 'kØokj, मई 3, 2013/वैशाख 13, 1935

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 3, 2013/VAISAKHA 13, 1935

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली 3 मई, 2013

का.आ. 1131(अ) – केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के 500.000 किमी से 634.000 किमी (चलसा से सिलीगुड़ी से दलकोला सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 358 (अ), तारीख 1 मार्च, 2012 का अधिक्रमण करते हुए,

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के 522.700 किमी से 551.000 किमी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों और विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत करने तथा संग्रहीत करने हेत् प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था।

और, जबिक अब किमी 507.000 से 522.700 किलोमीटर तक का निर्माण पूरा हो चुका है; 1803GI/2013

अतः अब, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर संशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पिठत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 358 (अ), तारीख 1 मार्च, 2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन तथ्यों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी हैं या पूर्व में विलोपित करा दी गई है, उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 44.000 किमी हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है), द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के 507.000 किमी से 551.000 किमी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों और विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत करने तथा संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था ।

सारणी -1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्निलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
किमी/चैनेज 547.350 (दार्जिलिंग जिले में पश्चिम मदाती गांव के पास)	44.000

- 2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।
- 3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जायेगा, अर्थात्:-

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक माह

- 4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय अनुजा पत्र के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
- 5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

- 7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
- 8. ऊपर सारणी 1 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 422.02 करोड़ रूपये हैं। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जिरए पूंजीगत लागत की वसूली का अभिलेख रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में उगाही गई उपभोक्ता शुल्क की राशि से कुल 14.82 करोड़ की वसूली हुई।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/443/09-10/सीओ/जीसी-सिलीग्डी(507-551)]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May 2013

**S.O. 1131(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated the 26<sup>th</sup> April, 2002 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 500.000 to kilometer 634.000 (Chalsa to Siliguri to Dalkola section) of National Highway No. 31 in the State of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rule, 2008, the Central Government by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.358 (E) dated 1<sup>st</sup> March, 2012, authorized

Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of four and more lane sections from Kilometer 522.700 to Kilometer 551.000 on National Highway No. 31 in the State of West Bengal at the rates and category of vehicles specified in its schedule.

And whereas, now the construction of stretch from Km 507.000 to Km 522.700 has been completed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification number S.O. 358 (E), dated the 1st March, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length 44.000 Km (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section from kilometer 507.000 to kilometer 551.000 (hereinafter referred to as the "said stretch") on the National Highway No. 31 in the State of West Bengal and

authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plazas:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 547.350 (near Paschim Madati village in Darjeeling district)	44.000

- 2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
----------------	--	--------------------

One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

- 4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
- 8. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the authority and published and will further be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
- 9. The capital cost of the project is Rupees 422.02 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules. A total of Rs 14.82 crore has been recovered from user fee realized till 31.03.2013.

[F.No. NHAI/13013/443/09-10/CO/GC-Siliguri (507 - 551)]

Sanjay Bandopadhyaya, Jt. Secy.